छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 28 नवम्बर,2019 (अग्रहायण 7,1941)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5–19/2019/18, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2019 पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5–19/2019/18, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–2019 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, जिला–कोरिया, तहसील–सोनहत निवासी नाबालिग छात्रा के ऊपर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री देवव्रत सिंह, सौरभ सिंह, सदस्य, नगर निगम रायपुर एवं बिरगांव क्षेत्र में आने वाले तालाबों और जलाशयों का पुनरूद्धार न किया जाकर तालाबों के पास व्यवसाय की अनुमति दिये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(3) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, प्रदेश में कार्यरत शिक्षाकर्मियों की अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, प्रदेश में संचालित गौशालाओं को अनुदान राशि प्रदान नहीं किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक,2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक,2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

6. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय
1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में हाथियों के उत्पात से हो रही जन–धन की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 27 नवम्बर, 2019